भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2273
जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

मद्रास उच्च न्यायालय के कोलेजियम हेतु सिफारिश

2273. कु. सुधा आर. :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सेवारत न्यायाधीशों या बार में से उम्मीदवारों की किसी सूची की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए उच्च न्यायालय की कोलेजियम विधिवत रूप में बुलाई गई थी और नियमानुसार उनका अनुमोदन लिया गया था ;

(ग) क्या न्यायमूर्ति जे. निशा बानु अभी भी मद्रास उच्च न्यायालय के कोलेजियम का हिस्सा हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने सिफारिश किए गए नामों की सूची पर हस्ताक्षर किए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या न्यायमूर्ति जे. निशा बानु से केरल उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हो, तो इस संबंध में सरकार का रुख क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : मद्रास उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों से रिक्तियों के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समय-समय पर अनुशंसाएँ प्राप्त होती हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) और 28 अक्टूबर, 1998 के उनके सलाहकार मत (तृतीय न्यायाधीश

मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने तृतीय (III) न्यायाधीश मामले में 28 अक्टूबर, 1998 के अपने सलाहकार मत में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि "उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों से संबंधित मामलों में... उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय उच्च न्यायालय के कम से कम दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श के पश्चात ही बनाई जाएगी।"

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के संबंध में, प्रक्रिया ज्ञापन में अन्य बातों के साथ यह उपबंध किया है कि "....अपनी सिफारिश भेजने से पहले, मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तावित नामों की उपयुक्तता के संबंध में पीठ के अपने दो सबसे वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श करना होगा..."

संविधान के अनुच्छेद 222 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों से परामर्श करके आरंभ किया जाता है।

प्रक्रिया ज्ञापन मे आगे यह उपबंध किया गया है कि इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय ही अंतिम होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को भी ध्यान में रखें, जहाँ से न्यायाधीश का स्थानांतरण होना है, साथ ही उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को भी ध्यान में रखें, जहाँ स्थानांतरण होना है, और इसके अतिरिक्त एक या अधिक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखें जो अपनी राय देने की स्थिति में हैं। संबंधित न्यायाधीश, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, से संबंधित व्यक्तिगत घटक और उनकी प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया, जिसमें उनके द्वारा चुने गए स्थानों का विवरण भी सम्मिलित है, भारत के मुख्य न्यायधीश और उच्चतम न्यायालय के प्रथम चार अवर न्यायाधीशों द्वारा प्रस्ताव पर निष्कर्ष से पहले विचार किया जाना अनिवार्य है। सभी स्थानांतरण जनहित में, अर्थात् सम्पूर्ण देश में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति जे. निशा बानू का केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण 14.10.2025 को अधिसूचित किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (1) (ग) में कहा गया है कि "किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने या राष्ट्रपति द्वारा भारत के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा।"

****